न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास्त बइजलास्त लहरीकुमार जैन आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः–10/16

1.परमानन्द पुत्र बेज्यालाल जाति भील निवासी नालोदी तहसील कनवास।
(वादी)

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

(प्रतिवादी)

वाद अर्न्तगत धारा 88,89 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 12.11.2016

वादी ने उपस्थित होकर दावा अर्न्तगत धारा 88,89, आरटीऐक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी के खाते एंव कब्जे कास्त की आराजी ग्राम नालोदी पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास में खाता संख्या 56 जमाबंदी सम्वत 2066–2069 में अंकित खसरा नंबर 650 की 0.67 है0, खसरा नंबर 651 की 0.67 है0, खसरा नंबर 665 की 0.04 है0, खसरा नंबर 666/1 उत्तर की 0.44 है0, खसरा नंबर नंबर 668/1 उत्तर की 0.54 है0, खसरा नंबर 669/1 उत्तर की 0.47 है0, कुल खसरा किता 06 की कुल रकबा 2.83 हैक्टर आराजी भूमि स्थित है। उक्त आराजी में वादी के पिता के नाम तेज्या दर्ज है। जो गलत दर्ज हो रहा है। वादी के पिता का नाम बेज्यालाल है। वादी के राशन कार्ड में भी वादी के पिता का नाम बेज्यालाल एवं आधार कार्ड एवं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र में भी बेज्यालाल है। इस कारण राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता का नाम तेज्या गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी भूमि पर ऋृण आदि की सुविधा प्राप्त नंही कर सकता है। उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम तेज्या के स्थान पर बेज्यालाल दर्ज किया जाकर रेकार्ड दुरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम नालोदी के खसरा न बर 650 की 0.67 है0, खसरा नंबर 651 की 0.67 है0, खसरा नंबर 665 की 0.04 है0, खसरा नंबर 666/1 उत्तर की 0.44 है0, खसरा नंबर नंबर 668/1 उत्तर की 0.54 है0, खसरा नंबर 669/1 उत्तर की 0.47 है0, कुल खसरा किता 06 की कुल रकबा 2.83 हैक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता का नाम तेज्या के स्थान पर बेज्यालाल का नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी की गई। प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नालोदी में राजस्व रेकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

वादी परमांनद के पिता का नाम तेज्या की मिसल बन्दोबस्त में दर्ज है। वादी के पिता के नाम में सहवन कोई त्रुटि रिकार्ड में नंही हुई है। वादी अपने पिता की वल्दियत तेज्या के स्थान पर बेज्यालाल करवाना चाहता है। दुरूस्ती योग्य नंही है। दिंनाक 12.11.2016 को पटवार मण्डल दांता ने मौका पर्चा पेश किया कि ग्राम नालोदी में खातेदार कस्तूर, परमानंद जाति भील के पिता नाम बेज्या बताया गया है। जो सही है।

अतः पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं पेरोकार सरकार के जवाब तथा प्रस्तुत उद्वरण का अवलोकन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि वाद पत्र में अंकित आराजी माल ग्राम नालोदी खाता संख्या नया 56 जमाबंदी 2066–2069 में अंकित खसरा नंबर 650 की 0.67 है0, खसरा नंबर 651 की 0.67 है0, खसरा नंबर 665 की 0.04 है0, खसरा नंबर 666/1 उत्तर की 0.44 है0, खसरा नंबर नंबर 668/1 उत्तर की 0.54 है0, खसरा नंबर 669/1 उत्तर की 0.47 है0, आराजी में अंकित वादी के पिता का नाम तेज्या के स्थान पर बेज्यालाल किया जाना उचित समझते हैं।

अतः दावा वादी स्वीकार कर डिक्रि किया जाता है कि माल ग्राम नालोदी की जमाबंदी सम्वत 2066–2069 के खाता संख्या नया 56 पर अंकित खातेदार का नाम परमानंद पिता तैज्या जाति भील के स्थान पर परमानंद पिता बेज्यालाल जाति भील सही किया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। उक्तानुसार डिक्रि मुर्तिब की जावें। निर्णय सुनाया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

(लहरीकुमार जैन)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी कनवास

<u>अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई</u>
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास लहरी कुमार जैन R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.) राष्ट्रीय लोक अदालत दिंनाक 12.11.2016

1. परमानंद पुत्र बेज्यालाल जाति भील निवासी नालोदी तहसील कनवास जिला कोटा। वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादी

<u>दावा बाबत अर्न्तगत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट</u>

मुकदमा नं. 10/16 सन 2016 तारीख फैसला 12.11.2016 न्यायालय ब इजलास श्री लहरी कुमार जैन R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी नंबर 1 व 2 मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी स्वंय मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है, कि ग्राम ग्राम नालोदी की जमाबंदी सम्वत 2066–2069 के खाता संख्या नया 56 पर अंकित खातेदार का नाम परमानंद पिता तैज्या जाति भील के स्थान पर परमानंद पिता बेज्यालाल जाति भील सही किया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.11.2016 माह नवम्बर 2016 को जारी की गई।

मोहर ....

~~श्री~~ लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज०)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	पया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा '''' स्टाम्प वकालतनामा '''' स्टाम्प वजह सबूत '''' महनताना वकील'''' खर्चा गवाहान '''' फीस कमिश्नर '''' बाबत इजराय हुकमनामा '''' मुतफर्रिक ''''	------NIL------		स्टाम्प वकालतनामा '''' स्टाम्प अर्जी '''' महनताना वकील'''' खर्चा गवाहान '''' फीस कमिश्नर '''' बाबत इजराय	------NIL------	
मीजान ''''			हुकमनामा '''' मुतफर्रिक '''' मीजान ''''		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास (कोटा)